

प्रेषक,

एच०बी०थपलियाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यू०एस०आर०एल०एम०
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी/
जिला कार्यक्रम समन्वयक
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास विभाग (यूएसआरएलएम) देहरादून: दिनांक १२ मार्च, 2014

विषय :- स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का बीमा करवाये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया श्री टी० विजय कुमार, संयुक्त सचिव (RL) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-J.11060/32/2014-RL (FTS-35430) दिनांक 12 मार्च, 2014 की संलग्न छायाप्रति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया कि बी०बी०एल० श्रेणी के कर्मकारों का केन्द्र सरकार द्वारा पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अन्तर्गत आच्छादित किया जाय।

अतः अनुरोध है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से जारी उक्त पत्र में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अन्तर्गत आच्छादित करने हेतु अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ बैठक करते हुए तदनुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,


(एच०बी०थपलियाल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या :- / (२५) यूएसआरएलएम-2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- 1. श्री टी० विजय कुमार, संयुक्त सचिव (RL) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव / मिशन निदेशक, ग्राम्य विकास / यू०एस०आर०एल०एम०, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(एच०बी०थपलियाल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी